

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

पटना-15, दिनांक-28-07-2015

विषय :- राज्य के प्रमुख श्रावणी मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि में से रूपये 2,33,07,288/- रू0 (दो करोड़ तेतीस लाख सात हजार दो सौ अठासी रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- स्वीकृति।

राज्य में आयोजित प्रमुख श्रावणी मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि की निकासी की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र0	मेला/जिला का नाम	स्वीकृति राशि
1	श्रावणी मेला-2015, भागलपुर	₹ 58,00,000 /-
2	श्रावणी मेला-2015 मुंगेर	₹ 45,01,288 /-
3	श्रावणी मेला-2015, लखीसराय	₹ 18,00,000 /-
4	श्रावणी मेला, जमुई	₹ 10,00,000 /-
5	बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिर श्रावणी मेला-2015, मुजफ्फरपुर	₹ 23,00,000 /-
6	बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर श्रावणी मेला-2015 मुजफ्फरपुर	₹ 13,00,000 /-
7	बाबा हरगिरिधाम श्रावणी मेला-2015, बेगूसराय	₹ 43,76,000 /-
8	अरेराज श्रावणी मेला-2015, पूर्वी चम्पारण	₹ 2,30,000 /-
9	बाबा केवल स्थान राजकीय मेला-2015, समस्तीपुर	₹ 20,00,000 /-

2. राशि की निकासी शीर्ष-2029 भू-राजस्व-104-सम्पदाओं का प्रबंध-0002-हाट बाजार कचहरी इत्यादी का सुरक्षण-2701 लघु कार्य माँग सं0-40 विपत्र कोड-एन0-2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में की जायगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्ता, होंगें।

4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 (वी०)(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जायगी।

5. इस राशि की निकासी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात की जायगी।

6. समाहर्ता को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृति राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जायगा।

7. इस स्वीकृति राशि का व्यय संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन माह के अंदर निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध करायेगें अन्यथा किसी भी स्थिति में अगले वर्ष में इस मद में स्वीकृत राशि विमुक्त करने पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। डी० सी० विपत्र के मामले में इसका समायोजन नियत समय सीमा के अंदर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

FAX

ई-मेल

ज्ञापांक :-

2561 (वी०)

/रा०, पटना-15, दिनांक- 28-05-2015

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, / सभी संबंधित समाहर्ता/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-5(बजट शखा)/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/5
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।